झारखण्ड सरकार विधि विभाग झारखण्ड मंत्रालय, धूर्वा, रॉची— 834004

	−ःः अधिसूचनाः:-				
to		राँची.	दिनांक-	सितम्बर,	2016

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार एतद् द्वारा न्यायिक अकादमी, झारखंड नियमावली, 2002 (यथा संशोधित 2016) के निम्नांकित प्रावधानों को संशोधित / प्रतिस्थापित करने हेतु नियमावली बनाते हैं:—

न्यायिक अकादमी, झारखण्ड, नियमावली, 2002 (यथा संशोधित, 2016)

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः-

- i. इस नियमावली को न्यायिक अकादमी, झारखण्ड, नियमावली, 2002 (यथा संशोधित, 2016) कहा जा सकता है।
- ii. यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावीहोगा।
- 2. अकादमी के मुख्यालय का नाम:—अकादमी को न्यायिक अकादमी झारखण्ड के नाम से जाना जायेगा। इसका एक शाश्वत उत्तराधिकार, पृथक मुहर और चिन्ह होगा, तथा इसका मुख्यालय रॉची में ऐसे स्थान पर अवस्थित होगा जैसा राज्य सरकार व्यवस्था करें।
- 3. ं लक्ष्य एवं उददेश्य:- अकादमी को निम्नवत उददेश्यों हेतु गठित किया गया है:-
 - झारखण्ड राज्य के सेवारत् न्यायिक अधिकारियों, ऐसे व्यक्तियों जिन्हे झारखण्ड न्यायिक सेवा में अधिकारी के रूप में चयनित, नियुक्ति के लिये संस्तुत किया गया है, झारखण्ड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री के सदस्यों, राज्य, न्यायपालिका के कर्मियों को प्रशिक्षण देना।
 - गं. राज्य सरकार के सेवारत् अधिकारियों जैसे सहायक लोक अभियोजकों तथा राज्य सरकार के अन्य विधि अधिकारी, शासकीय अधिवक्ताओं, लोक अभियोजकों, अनुसंधानकर्ताओं एवं अन्य जिन्हे उक्त उदेश्यों हेतु नामांकित किया जाय, प्रशिक्षण देना।

उदाहरण:— प्रशिक्षण में विधि, पारा लीगल तथा न्यायिक अथवा अर्द्धन्यायिक विषय व मामलों सबंधी अध्ययन शामिल होगा।

- iii. उर्पयुक्त प्रशिक्षण के उद्देश्य हेतु विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, विभिन्न समयावधि के लिये तैयार करना।
- iv. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्य प्रणाली एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिये विधिक एवं न्यायिक ज्ञान का प्रसार करना तथा उन्हें इसके लिये साधन युक्त एवं तैयार करना।
- एक आदर्श सहयोगी एवं आधारमूत रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना जो विशेषतया
 झारखण्ड न्यायिक सेवा एवं सामान्यतया अन्य सेवाओं में श्रेष्ठता के स्तर एवं जन सामान्य में विश्वास के उच्च मानक को सुनिश्चित करे।
- vi. बार एवं बेंच के सदस्यों के मध्य तथा राज्य के तीनो अंगो विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य निकटवर्ती सम्प्रेषण करना तथा इस दिशा में सभी सकारात्मक एवं प्रभावी कदम उठाना।
- vii. उपरोक्त एवं अन्य सबंधित उदेश्यों हेतु सेमिनार, सिम्पोजिया, कार्यशाला एवं बहस आयोजित करना।

- viii. जन सामान्य के मध्य उनके अधिकारो, कर्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में जागरूकता लाना तथा व्यक्तियों को उनके कर्तव्यो एवं दायित्वों को अहसास दिलाने में सहायता करना।
- ix. अकादमी के उदेश्यों की प्राप्ति के लिये अन्य संगठनो एवं संस्थाओं के साथ निकटवर्ती सेम्प्रेषण स्थापित करना।
- x. राज्य सरकार के अनुमोदन से शासी निकाय द्वारा विहित उद्देश्यों को निर्धारित एवं क्रियान्वित करना।
- प्रधान संरक्षक :- झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अकादमी के प्रधान संरक्षक होंगे
- 5. शासी निकाय:— अकादमी का शासन, नियंत्रण एवं प्रशासन शासी निकाय में निहित होगा। झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शासी निकाय के अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नवत रूप से मिलकर शासी निकाय गठित होगा:—

1:	प्रभारी न्यायाधीश, न्यायिक अकादमी	(i_{i_1},\ldots,i_{i_m})	सदस्य	
2.	मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित झारखण्ड उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश	T-	सदस्य	
3.	न्यायिक अकादमी के कार्यकारी समिति के एक वरीष्ठतम न्यायाधीश	_	सदस्य	
4.	महाधिवक्ता, झारखण्ड	_	सदस्य	
5.	महानिदेशक (प्रशिक्षण) श्री कृष्ण लो०प्र०स०राँची	-	सदस्य	
6.	महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय	-	सदस्य	
7.	प्रधान सचिव वित्त सह योजना विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची	-	सदस्य	
8.	सरकार के प्रधान सचिव, विधि(न्यायिक) विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉची	-	सदस्य	
9.	सचिव कार्मिक विभाग, झारखण्ड सरकार,राँची	-	सदस्य	
10.	उप कुलाधिपति, राष्ट्रीय विधिक अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची	-	सदस्य	
11.	निदेशक, न्यायिक अकादमी	-	सदस्य	

- (क) (i) मुख्य न्यायाधीश सह प्रधान संरक्षक स्वविवेक से किसी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में शासी निकाय की बैठक में आमंत्रित कर सकते हैं।
 - (ii) शासी निकाय अकादमी की वृहद् संस्थागत नीति का निर्धारण, पाठ्यक्रम का अनुमोदन, अविध एवं अन्य सभी मुद्दे एवं मामले जो अकादमी द्वारा संचालित पाठ्यक्रम से सबंधित हो, जिसमे विभिन्न प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम, भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं एवं प्रतिभागियों की श्रेणियाँ शामिल हो, कर सकेगा। शासी निकाय वार्षिक अकादिमक कैलेन्डर का अनुमोदन अथवा अन्य आदेश व निर्णय कर सकेगा, जो अकादमी के गठन के उद्देश्य की पूर्ति में आवश्यक हो।
 - (iii) शासी निकाय द्वारा अकादमी के वार्षिक बजट को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिये तैयार एवं अग्रसारित किया जायेगा।
 - (iv) शासी निकाय समय समय पर ऐसे निर्देश, दिशा निर्देश, निदेश जारी करने हेतु आदेश कर सकेगा जो अकादमी के संचालन, प्रशासन से सबंधित अथवा उससे अर्न्तसबंधित जो अकादमी के गठन के उद्देश्य से सबंधित हो तथा जिससे अधिकतम परिणाम सुनिश्चित हो, जारी कर सकेगा।

5. (A) कार्यकारी समिति:-

- (i) अकादिमक कैलेन्डर तैयार करने, वित्तीय गतिविधियों से सबंधित मामले जैसे बजट तैयार करना, क्रय एवं अन्य खर्च एवं अन्य मामले, प्रश्न अथवा मुद्दे जो नियमावली में दर्शित नहीं है, सहित अकादिम के दिन प्रतिदिन के कार्यों, कार्यक्रमों एवं प्रशासन का निरंतर पर्यवेक्षण के लिये एक कार्यकारी समिति होगी।
- (ii) झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण कार्यकारी समिति में होंगे।

6. अकादमी के अधिकारी एवं कर्मचारी :-

- (a) अकादमी का एक पूर्णकालिक निदेशक एवं वरीष्ठ संकाय सदस्यगण जिसे शासी निकाय किसी अन्य उचित एवं उपयुक्त नाम दे सकेगी, होगा।
- (b) झारखण्ड सरकार की पूर्वानुमित से शासी निकाय द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त अधिकारी एवं अतिरिक्त कर्मचारी अकादमी में होंगे।

झारखण्ड उच्च न्यायालय की सहमति से निदेशक, अपर निदेशक सह वरीष्ठ संकाय सदस्यगण एवं अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार शासी निकाय को होगा। अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश (अकादमी के प्रधान संरक्षक) के पूर्वानुमोदन पर निदेशक द्वारा की जा सकेगी।

निदेशक एवं वरिष्ठ संकाय सदस्यगण :-

- (a) झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित प्रभारी न्यायाधीश, न्यायिक अकादमी द्वारा जो कि इसके कार्यकारी प्रमुख होंगे, न्यायिक अकादमी प्रशासित होंगी।
- (b) प्रमारी न्यायाधीश, न्यायिक अकादमी को अकादमी के संचालन में सहायता के लिये निदेशक एवं अपर निदेशक सह वरीष्ठ संकाय सदस्यगण होंगे। अपर निदेशक सह वरीष्ठ संकाय सदस्य, निदेशक की अनुपस्थिति में प्रशासी न्यायाधीश, न्यायिक अकादमी के पूर्वानुमोदन पर उनके स्थान पर तथा उनकी ओर से कार्य करेंगे। निदेशक एवं अपर निदेशक सह वरीष्ठ संकाय सदस्य की नियुक्ति के लिये अर्हता, योग्यता एवं अन्य शर्ते वे होंगी जिसे शासी निकाय, राज्य सरकार की सहमति से विहित करें।
- (c) निदेशक (यदि सेवारत् जिला जज है) एवं अपर निदेशक सह वरीष्ठ संकाय सदस्यगण झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा से होंगे।

8. शासी निकाय की बैठक :--

- (a) शासी निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी तथा दोनो बैठको के मध्य में छह: माह से अधिक अंन्तराल नहीं होगा। शासी निकाय के आधे सदस्यों से मिलकर सामान्य स्थिति में बैठक का कोरम गठित होगा। परन्तु यदि कोरम के अभाव में किसी बैठक को स्थिगत किया जाता है तो ऐसे स्थिगन के पश्चात् आयोजित किसी बैठक में किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।
- (b) अध्यक्ष बैठक में अपनी प्रत्याशित अथवा अपेक्षित अनुपस्थिति की स्थिति में अथवा अन्यथा यह निर्देश दे सकता है कि उसकी उपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के ऐसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा की जायेगी, जो शासी निकाय का सदस्य हो।

9. निर्णय:-

शासी निकाय, विशेषतया अध्यक्ष का यह प्रयत्न होगा कि वह सुनिश्चित करें कि प्रशासी निकाय की बैठक में सभी निर्णय सर्व सम्मति से लिये जायें। परन्तु यदि सर्व सम्मति नही हो पाती है तो निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिये जायेंगे।

10. संशोधनः-

इस नियमावली को समय समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन पर शासी निकाय द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

11. विविध:-

किसी अन्य मामले, प्रश्न अथवा मुद्दा जो यहाँ दर्शित नहीं है अथवा इस नियमावली में शामिल नहीं है, के सबंघ में निर्णय लेने, कार्यवाही करने, आर्दश अथवा निर्देश जारी करने के लिये शासी निकाय सक्षम होगा।

12. अंकेक्षण:- अकादमी का वार्षिक अंकेक्षण किया जायेगा।

230 O (संचिका संख्या-बी10 / विधि-स्था-10 / 2010- / जे0)

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश कुमार सिंह) प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक बी10/विधि—स्था—10/2010— /जेo

राँची, दिनांक-2% सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, झारखंड, राँची को झारखंड राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित एवं उनसे अनुरोध है कि उक्त की 50 प्रतियाँ विधि (न्याय) विभाग, को उपलब्ध करावें।

हि | — (दिनेश कुमार सिंह) प्रधान सचिव—सह–विधि परामर्शी विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

व्यापांछ - व्योः | विष्य - स्पोठ - 10 | 2010 - 2300 | जे॰, दिनांछ - 26 सितम्बर 2016 प्रतिलिपि- महानिबंधक, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड, राँची / निदेशक, झारखंड न्यायिक अकादमी, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(दिनेश कुमार सिंह) प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार विधि (न्याय) विभाग झारखण्ड मंत्रालय, धूर्वा, रॉची— 834004

-:: अधिसूचना ::--

एस० ओ०.

(ii)

(iii)

.राँची, दिनांक-

सितम्बर, 2016

	All and the second seco
झारखंड नियमाव प्राधिकार द्वारा	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ोय झारखंड उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार एतद् द्वारा न्यायिक अकादमी, ाली, 2002 (यथा संशोधित 2016) का निम्नलिखित भाषा अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड (3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।
	(संचिका संख्या-बी१०/विधि-स्था-१०/२०१०- रेजे०)
	झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
	(दिनेश कुमार सिंह) प्रधान सचिव—सह—विधि परामर्शी विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।
	NOTIFICATION
S.O.	Ranchi, dated - 24 September, 2016
consultation wi	cise of the powers conferred under article 162 of the Constitution of India and in the Hon'ble Jharkhand High Court, Ranchi, the State Government makes the ludicial Academy Jharkhand Regulation, 2002 (as amended 2016) which are as follows:-
	Judicial Academy, Jharkhand, Regulation, 2002 (As amended 2016)
1. Short t	itle and commencement :-
(i) (ii)	These Regulations may be called the "Judicial Academy Jharkhand, Regulations, 2002",(as amended 2016) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.
"Judicia and its	of the Headquarter of the Academy:- The Academy shall be known by the name of al Academy Jharkhand". It shall have a perpetual succession, separate seal and emblem head quarter shall be located at Ranchi and it shall be housed in such <i>premises</i> as may rided by the State Government.
3. Aims a	nd Object :- The Academy has been set up for the following objectives :-
(i)	To impart training to in-service Judicial Officers of Jharkhand State, such persons who have been selected, proposed as recommended for appointment as officers in the Jharkhand Judicial Service, the State Members of the Registry of Jharkhand High Court and the Members of the staff of the State Judiciary.

To impart training to the in-service officers of the State Government such as Assistant Public Prosecutor and such other Law Officers of State Government, G.Ps, P.Ps, I.O's and others as may be nominated for such purpose.

Example :- The training shall include study courses relating to legal, para-legal and Judicial or quasi Judicial subjects and matters.

To conduct courses of various types and for varying durations for the purposes of the aforesaid training;

- (iv) To disseminate legal and Judicial knowledge and to equip and prepare Judicial Officers for the discharge of their functions and duties;
- (v) To create an atmosphere ideally conducive and fundamentally congenial for ensuring that the Judicial Service of Jharkhand State in particular, and other services in general, reach levels of excellence and inspire confidence of the Highest order among the members of the public;
- (vi) To bring about closer levels of interactions between the members of the Bær and the Bench, and the three organs of the State, namely, Legislature, Executive and the Judiciary and to take all positive and effective steps in that direction;
- (vii) To organize Seminars, Symposia, Workshops and Debates in furtherance of aforesaid and other related objects;
- (viii) To create awareness amongst masses about their rights, duties and obligations and to help the people in the enforcement of such rights and realization of such duties and obligations;
- To arrange for and bring about closer inter-action with other organizations and Institutions for achieving the objectives for which the Academy has been set up;
- (x) To fix or lay down such other objectives as may be prescribed from time to time by the Governing Body with the approval of the state Government.
- Patron-in-Chief: The Chief Justice of the High Court of Jharkhand shall be the Patron-in-Chief of the Academy.
- Governing Body: (i) The governance, control and administration of the Academy shall vest in the Governing Body. The Chief Justice of the High Court of Jharkhand shall be the Chairman of the Governing Body. In addition to the Chairman, the Governing Body shall consist of the following:

1.	The Judge In-Charge, Judicial Academy	Membe
2.	One Judge of the High Court of Jharkhand to be nominated by the Chief Justice	
3.	The senior most Judge of the Executive Committee of the Judicial Academy	
4.	Advocate General, Jharkhand	
5.	Director General (Training), Shree Krishna Lok Prashasan, Sansthan, Ranchi	
6.	Registrar General, High Court of Jharkhand	Membe
7.	Principal Secretary, Department of Finance, Government of Jharkhand, Ranchi	Membe
8.	Principal Secretary to Government, Law (Judl.) Deptt., Jharkhand, Ranchi	
9.	Secretary, Department of Personnel, Government of Jharkhand, Ranchi	
10.	Vice Chancellor, National University For Study & Research In Law, Ranchi.	
11.	Director, Judicial Academy	Membe

- (a) The Chief Justice-cum-Patron-In-Chief may in his discretion invite any person as special invitee in the Governing Body Meeting.
- (ii) The Governing Body may lay down the broad policy framework for the Academy, approve the curriculum, format duration of courses and all other issues and matters relating to the courses to be conducted by the Academy from time to time, including programmes for such courses with respect to various categories of training and trainees or the categories of persons/ participants to be involved in such courses. The Governing Body shall also

- approve Annual Academic Calendar for the Academy and may pass such order to take such decisions as may be necessary to achieve the purposes for which the Academy has been set up.
- (iii) The annual Budget of the Academy shall be prepared & forwarded by the Governing Body for the approval of state Government.
- (iv) The Governing Body may from time to time issue instructions or guidelines, pass orders to, issue such directions as it considers appropriate for the running of the Academy, with regard to its administration, or any matter connected therewith, relating to the objects for which the Academy has been set up and for ensuring that the objects were achieved with optimum result.
- (5) A. Executive Committee (i) There shall be an Executive Committee for continuing supervision of Programmes and administration including day to day working of the Academy, formulation of academic calendar, matters relating to financial activities like preparation of budget, purchasing and other expenditure and all other matters, questions or issue not mentioned elsewhere in this regulation.
- (ii) The Executive Committee shall comprise of Judges of the High Court to be nominated by the Chief Justice Justice of the High Court of Jharkhand.
- 6. Officers and Staff of the Academy :-
 - (a) The Academy shall have a whole time Director and Senior Faculty Members whom the Governing Body may designate by some other appropriate or suitable name.
 - (b) The Academy shall have such Officers and additional staff members as may be approved by the Governing Body, with the prior sanction of the Government of Jharkhand.

The power to appoint the Director, Additional Director-cum-Senior Faculty Members and the officers shall vest with the Governing Body in consultation with Jharkhand High Court. Other Staff members may be appointed by the Director with the prior approval of the Chief Justice (Patron-in-Chief of the Academy)

- 7. Director and Senior Faculty Members :-
 - (a) The Judicial Academy shall be administered by the Judge-in-charge, Judicial Academy to be nominated by the Chief Justice, High Court of Jharkhand, who shall be its Executive Head".
 - (b) The Judge-in-charge, Judicial Academy shall be assisted by the Director and Additional Director-cum-Senior Faculty Members in the functioning of the Academy. Additional Director-cum-Senior Faculty Member, in the absence of the Director, and with the prior approval of the Judge-in-charge Judicial Academy may officiate in his place and on his behalf. The eligibility, qualifications and other terms and conditions for appointment of the Director, and Additional Director-cum-Senior Faculty Member shall be such as may be prescribed by the Governing Body in consultation with the State Government.
 - (c) The Director (if he is a serving District Judge) and the Additional Director-cum-Senior Faculty Members shall be the officers drawn from the Jharkhand Superior Judicial Service.
- 8. Meetings of the Governing Body :-
 - (a) The meetings of the Governing Body shall be held at least twice in a year and not more than six months shall elapse between two meetings. One half Members of the Governing Body in normal course shall constitute the quorum for such meetings.
 - Provided, however, if a Meeting is adjourned for lack of quorum, no quorum shall be required for any meeting held pursuant to such an adjournment.
 - (b) The Chairman, may, owing to his anticipated or expected absence from the meeting or otherwise direct that the Meeting shall be presided over, in his absence, by the Senior Judge of the High Court, being a member of the Governing Body.

9 Decisions :-

It shall be the endeavour of the Governing Body, particularly of the Chairman, to ensure that all decisions in the meeting of the Governing Body are arrived at through consensus. If consensus, however, eludes or fails, decisions shall be taken through a majority vote of the Members present and voting.

10. Amendment :-

These Regulations may from time to time be amended by the Governing Body with the approval of State Government.

11. Misc. :-

With respect to any other matter, question or issue not mentioned herein or covered by these Regulations, it shall be competent for the Governing Body to take decisions, initiate action, pass orders or issue directions.

Audit :- Yearly audit of the Academy shall be conducted.

(File No.-B10/Vidhi-Stha-10/2010-(By order of the Governor of Jharkhand)

> (Dinesh Kumar Singh) Principal Secretary-cum-L.R. Law (Judicial) Department, Government of Jharkhand, Ranchi

2300

Memo No.- B10/Vidhi-Court-Stha-10/2010-

Ranchi, dated2 (September, 2016

Copy forwarded to the Superintendent, Government press, Doranda, Ranchi, with request to publish this notification in the extra-ordinary gazette and send 50 (fifty) copies to the Law Department.

> (Dinesh Kumar Singh) Principal Secretary-cum-L.R. Law (Judicial) Department, Government of Jharkhand, Ranchi

Memo No.- B10/Vidhi-Court-Stha-10/2010-

Ranchi, dated September, 2016

Copy forwarded to the Registrar General, Jharkhand High Court, Ranchi/Director, Judicial Academy, Jharkhand, Dhurwa, Ranchi for information and necessary action.

> (Dinesh Kumar Singh) Principal Secretary-cum-L.R. Law (Judicial) Department, Government of Jharkhand, Ranchi